

न्यायालय:-मधुसूदन जंघेल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

आप0प्रकरण क0-1184 / 13
संस्थित दिनांक 17.12.2013
फाईलिंग नंबर 234503002302013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा

जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन ।

विरुद्ध

1.महेन्द्र चौधरी पिता सुन्दरलाल चौधरी, उम्र-64 साल,

2.राजूलाल पिता महेन्द्र चौधरी, उम्र-32 साल,

दोनों निवासी ग्राम मानेगांव थाना बिरसा

जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....अभियुक्तगण ।

--:: निर्णय ::--

--:: आज दिनांक 12.05.2018 को घोषित ::--

01. उपरोक्त नामांकित आरोपीगण पर दिनांक 17.04.2013 की रात 10:00 बजे से दिनांक 18.04.2013 की दरमियानी रात्र में थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम मण्डई फॉरेस्ट वन चौकी में चोरी करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रौ पृच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन करने, उक्त दिनांक समय व स्थान पर अन्य सहआरोपी के साथ चोरी का सामान्य आशय बनाकर फॉरेस्ट वन चौकी मण्डई के अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना उसके आधिपत्य की संपत्ति मोटोरोला कंपनी का वायरलेस, माईक एक नग, सोलर, इनवर्टर, पी.सी.यू. एवं शासकीय दस्तावेज को बेईमानीपूर्वक लेने के आशय से हटाकर चोरी करने, इस प्रकार धारा-457, 380/34 भा.द.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.04.2013 को फरियादी अख्तर खान बीट गार्ड मण्डई रात में अनिल कुमार ग्रेसिया और देवीप्रसाद शुक्ला के साथ रात्रि गश्त में गये हुए थे। रात्रि की गश्ती समाप्त करके सुबह 8:00 बजे जब वे लोग वन चौकी मण्डई में आये, तब दरवाजे का पिछला दरवाजा टूटा हुआ था। कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़कर चौकी के अन्दर परिक्षेत्र सहायक अधिकारी के कमरे का ताला तोड़कर आलमारी में रखे मोटोरोला कंपनी का वायरलेस सेट को चोर चुरा ले गये थे एवं उसी कमरे

से लगे दूसरे कमरे का ताला तोड़कर वहाँ रखे सौर उर्जा से संबंधित इनवर्टर, वायरिंग बोर्ड, कपड़े, बिस्तर एवं कुछ शासकीय रिकार्ड को अज्ञात चोर चोरी कर ले गये थे। फरियादी अख्तर खान ने घटना की लिखित रिपोर्ट दिया था, जिसके आधार पर थाना बिरसा में अपराध क्रमांक 52/13 धारा-457, 380/34 भा.दं0सं0 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान फरियादी एवं साक्षीगण के कथन लेख किये गये। घटनास्थल का मौका-नक्शा, जप्ती की कार्यवाही की गई। आरोपीगण का मेमोरेन्डम तैयार कर मेमोरेन्डम के आधार पर आरोपीगण से चुराई गई वस्तु जप्त की गई। आरोपीगण को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. प्रकरण में अभियुक्तगण ने अपने अभिवाक् एवं अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द.प्र.सं में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है एवं बचाव में यह व्यक्त किया है कि वे निर्दोष हैं तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की गई।

04. प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

01. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 17.04.2013 की रात 10 बजे से दिनांक 18.04.2013 की दरमियानी रात्रि में थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम मण्डई वन चौकी में चोरी करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रौ पृच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन किया ?

02. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अन्य सहआरोपी के साथ चोरी का सामान्य आशय बनाकर फॉरेस्ट वन चौकी मण्डई के अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना उसके आधिपत्य की संपत्ति मोटोरोला कंपनी का वायरलेस, माईक एक नग, सोलर, इनवर्टर, पी.सी.यू. एवं शासकीय दस्तावेज को बेईमानीपूर्वक लेने के आशय से हटाकर चोरी की ?

:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ::

विचारणीय प्रश्न क.01 से 02

उक्त विचारणीय प्रश्न परस्पर संबंधित होने से साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो तथा सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा

है।

05. सर्वप्रथम यह विचार किया जाना है कि क्या फॉरेस्ट वन चौकी मण्डई में घटना दिनांक को चोरी हुई थी। अख्तर खान अ.सा.01 ने बताया है कि दिनांक 17.04.2013 को वह मण्डई बीट में वन रक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह सुरक्षा श्रमिक के साथ गश्ती पर गया हुआ था। अगले दिन सुबह 8:00 बजे वन चौकी मण्डई आया, तब सामने का ताला खोलकर अंदर वह प्रवेश किया, तो उसने देखा कि कमरे का दरवाजा का ताला टूटा हुआ था। दूसरा कमरा जो परिक्षेत्र सहायक का था, उसका भी ताला टूटा हुआ था। आलमारी खुली हुई थी और उसमें रखा मोटोरोला का वायरलेस सेट नहीं था। पहले कमरे में रखा सौर उर्जा से संबंधित इनवर्टर और उसमें लगा वायरिंग बोर्ड तथा उसके स्वयं का बिस्तर, कपड़ा और कुछ शासकीय दस्तावेज को चोरी कर ले गये थे। चौकी के पिछले दरवाजे में बाहर की ओर कुल्हाड़ी से किया गया वार का निशान था एवं ऐलझाप टूटा हुआ था। उसने घटना की लिखित रिपोर्ट प्र.पी.01 पुलिस थाना बिरसा में की थी। लिखित रिपोर्ट प्र.पी.01 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 पंजीबद्ध किया गया था। उसने लिखित रिपोर्ट के साथ चोरी गये सामान का विवरण प्र.पी.03 भी दिया था। चोरी की सूचना उसने परिक्षेत्र सहायक मण्डई को भी दिया था। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.04 भी तैयार किया था। इस साक्षी ने चोरी की घटना बताया है, उसे प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दिया गया है, जिससे चोरी के संबंध में साक्षी का दिया गया कथन अखण्डनीय रहा है।

06. अनिल कुमार गरासिया अ.सा.02 ने बताया है कि घटना लगभग डेढ़-दो वर्ष पूर्व की है। घटना के समय वह मण्डई वन चौकी में रात्रिकालीन सुरक्षा सैनिक के रूप में कार्य करता था। घटना दिनांक को वह वनरक्षक अख्तर खान और देवीप्रसाद के साथ रात्रि गश्त पर गया हुआ था। गश्त पर जाने के समय चौकी का दरवाजा लगाकर गये थे, जब सुबह 8:00 बजे वापस आये तो चौकी के सामने का दरवाजा खोले। पीछे चौकी का दरवाजा टूटा हुआ था। सामान को चेक करने पर अंदर दो कमरे एवं आलमारी के ताले टूटे हुए थे। वन चौकी में रखा वायरलेस सेट, सौर उर्जा का इनवर्टर, वायरिंग बोर्ड,

बिस्तर एवं कपड़ा किसी ने चोरी कर लिया था। इस प्रकार इस साक्षी ने भी वन चौकी मण्डई में चोरी होने की घटना का समर्थन किया है तथा उक्त तथ्य को प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है, जिससे साक्षी का चोरी के संबंध में किया गया कथन अखण्डनीय रहा है।

07. देवीप्रसाद अ.सा.08 ने भी चोरी की घटना का समर्थन करते हुए बताया है कि घटना के समय वह बीट गार्ड अख्तर खान के साथ गश्त पर गया था। मण्डई चौकी वापस लौटने पर उसने देखा कि फॉरेस्ट चौकी का दरवाजा खुला हुआ था और एक इनवर्टर चोरी हो गया था, जिसके बाद वह बीट गार्ड अख्तर खान के साथ बिरसा थाना रिपोर्ट करने गया था। इस प्रकार इस साक्षी ने भी चोरी की घटना का समर्थन किया है।

08. बनवारीलाल धुर्वे अ.सा.09 ने बताया है कि दिनांक 19.04.2013 को थाना बिरसा के अपराध क्रमांक 52/13 अंतर्गत धारा-457, 380/34 भा.द.वि. की विवेचना के दौरान घटनास्थल ग्राम मण्डई वन चौकी जाकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.04 फरियादी अख्तर खान की निशादेही पर तैयार किया था तथा घटनास्थल से सफेद रंग का टूटा हुआ ताला फेरिस कंपनी, दूसरा टूटा ताला होसेम्स कंपनी, दरवाजे की टूटी चिटकनी, घटनास्थल के पीछे से स्टील का गिलास तथा पुराना थैला जप्त किया था। नक्शा मौका प्र.पी.04 में भी घटनास्थल फॉरेस्ट चौकी मण्डई होना दर्शाया गया है तथा फरियादी अख्तर खान और साक्षियों ने फॉरेस्ट चौकी मण्डई से ही चोरी होना बताया है तथा किसी भी साक्षी के प्रतिपरीक्षण में चोरी होने की घटना को चुनौती नहीं दी गई है। फलतः घटना दिनांक को फॉरेस्ट चौकी मण्डई से वायरलेस सेट, इनवर्टर, कपड़ा, बिस्तर चोरी होने की घटना प्रमाणित है।

09. अब प्रकरण में यह विचार किया जाना है कि क्या आरोपीगण ने वन चौकी मण्डई में चोरी कारित की थी। फरियादी अख्तर खान अ.सा.01 ने यह बताया है कि इनवर्टर, वायरलेस सेट, बिस्तर, कपड़े तथा कुछ शासकीय दस्तावेज कोई व्यक्ति चोरी कर ले गया था। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उक्त चोरी किस व्यक्ति ने किया था उसे जानकारी नहीं है। इस साक्षी ने लिखित रिपोर्ट प्र.पी.01 में भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी की रिपोर्ट किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 में भी अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध चोरी की रिपोर्ट

पंजीबद्ध की गई है। अनिल अ.सा.02 ने भी बताया है कि वह आरोपीगण को नहीं पहचानता है। वन चौकी से कोई व्यक्ति चोरी कर लिया था। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने चोरी करते हुए किसी को नहीं देखा। किस व्यक्ति ने चोरी की उसे जानकारी नहीं है। देवीप्रसाद अ.सा.08 ने भी प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि किस व्यक्ति द्वारा चोरी की गई थी, उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में आरोपीगण को घटनास्थल से चोरी कारित करते हुए देखे जाने के संबंध में कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

10. अब प्रकरण में यह विचार किया जाना है कि क्या आरोपीगण के मेमोरेन्डम के आधार पर आरोपीगण से चुराई गई संपत्ति जप्त की थी। राजेशधर अ.सा.07 ने बताया है कि थाना बिरसा के अपराध क्रमांक 52/13 धारा-457, 380/34 भा.द.वि. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 27.10.2013 को आरोपी महेन्द्र चौधरी का मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.06 लेखबद्ध किया था, जिसमें उसने इनवर्टर अपने मकान में छिपाकर रखने और वायरलेस सेट राजू के पास होने की जानकारी दिया था। उक्त दिनांक को ही राजूलाल ने अपने मेमोरेन्डम प्र.पी.07 में वायरलेस का चार्जर अपने घर पर छिपाकर रखना बताया था।

11. मेमोरेन्डम के स्वतंत्र साक्षी बैसाखू अ.सा.03 ने बताया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उसके सामने आरोपीगण ने कोई कथन नहीं दिया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपी महेन्द्र चौधरी ने इनवर्टर अपने घर के अंदर छिपाकर रखने व वायरलेस सेट राजू के पास होने की बात बताया था। इससे भी इंकार किया है कि आरोपी राजूलाल ने वायरलेस अपने घर में छिपाकर रखने की बात बताया था। इस प्रकार मेमोरेन्डम के इस साक्षी ने मेमोरेन्डम का समर्थन नहीं किया है। मेमोरेन्डम के दूसरे साक्षी नन्हेसिंह अ.सा.04 ने बताया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उसके सामने आरोपीगण ने कोई कथन नहीं दिया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपी महेन्द्र चौधरी ने इनवर्टर अपने घर के अंदर छिपाकर रखने व वायरलेस सेट राजू के पास होने की बात बताया था। इससे भी इंकार किया है कि आरोपी राजूलाल ने वायरलेस अपने घर में छिपाकर रखने की बात बताया था। इस प्रकार मेमोरेन्डम के दोनों स्वतंत्र

साक्षी ने मेमोरेन्डम का समर्थन नहीं किया है।

12. राजेशधर अ.सा.07 ने बताया है कि विवेचना के दौरान दिनांक 27.10.2013 को उसने आरोपी महेन्द्र चौधरी से सफेद रंग का इनवर्टर, सी.पी.यू. जिसके नीचे सोलर पॉवर कंडीशन यूनिट लिखा हुआ है जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.08 तैयार किया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी राजूलाल से गवाहों के समक्ष काले रंग का मोटोरोला कंपनी का वायरलेस सेट पाईप सहित जिस पर नंबर ए.जेड.एम.ओ.8.जे.एच.एफ.6883 लिखा हुआ जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.09 तैयार किया था।

13. जप्ती के स्वतंत्र साक्षी बैसाखू अ.सा.03 ने बताया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी महेन्द्र और राजूलाल से कोई सामान जप्त नहीं किया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी महेन्द्र चौधरी से सोलर इनवर्टर, पी.सी.यू. और आरोपी राजूलाल से एक वायरलेस सेट एवं एक काले रंग का चार्जर जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया था। जप्ती के दूसरे साक्षी नन्हेसिंह अ.सा.04 ने भी यह बताया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी महेन्द्र और राजूलाल से कोई सामान जप्त नहीं किया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी महेन्द्र चौधरी से सोलर इनवर्टर, पी.सी.यू. और आरोपी राजूलाल से एक वायरलेस सेट एवं एक काले रंग का चार्जर जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया था। इस प्रकार जप्ती के दोनों स्वतंत्र साक्षी भी पूर्णतः पक्षद्रोही हैं।

14. राजेशधर अ.सा.07 ने बताया है कि दिनांक 10.12.2013 को फरियादी अख्तर खान से गवाहों के समक्ष बिल क्रमांक सी.जी.22/एस.ई. / 157 / 2011-12 की छायाप्रति एवं चालान क्रमांक 12 दिनांक 03.09.2007 की छायाप्रति आर्टिकल 1 एवं 2 जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.05 तैयार किया था। दिनांक 27.10.2013 को आरोपीगण को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.10 एवं 11 तैयार किया था। विवेचना के दौरान साक्षी बैसाखू, नन्हेसिंह, चंद्रपाल, चैनसिंह, देवीप्रसाद, अनिल कुमार एवं अख्तर खान के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसने आरोपीगण से कोई संपत्ति जप्त नहीं की थी। इससे भी इंकार किया है कि उसने साक्षियों के कथन अपने मन से लेखबद्ध कर लिया था

तथा इससे भी इंकार कर लिया है कि उसने आरोपीगण के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया था।

15. बैसाखू अ.सा.03 ने बताया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था। नन्हेसिंह अ.सा.04 ने भी बताया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था। इस प्रकार गिरफ्तारी के संबंध में भी इन दोनों साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। चैनसिंह अ.सा.05 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है, किन्तु उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि उनके सामने महेन्द्र चौधरी और राजू चौधरी के घर में इनवर्टर एवं वायरलेस रखे होने की लिखा-पढ़ी पुलिस ने की थी। इससे भी इंकार किया है कि उसके सामने बीट गार्ड ने सामानों को पहचाना था। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.14 का कथन देने से भी इंकार किया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी तथा उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

16. चंद्रपाल अ.सा.06 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना के समय बिरसा पुलिस आरोपीगण को अजगरा लेकर आई थी, तब पुलिस ने उसे बताया था कि आरोपीगण ने बेटरी चोरी की है। इस प्रकार यह साक्षी पुलिस के बताने के आधार पर बेटरी चोरी की बात बताया है तथा पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपी महेन्द्र चौधरी और राजू ने अपने मकान के अंदर से पुलिस को सोलर, इनवर्टर तथा वायरलेस सेट निकालकर दिया था। इससे भी इंकार किया है कि उनके सामने जप्ती के साक्षी बैसाखू एवं नन्हे ने हस्ताक्षर किया था। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.15 का कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी चंद्रपाल अ.सा.06 ने भी अपने समक्ष आरोपीगण से बेटरी और वायरलेस सेट जप्त किये जाने से इंकार किया है।

17. इस प्रकार लिखित रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीबद्ध कराया गया है। घटना के समय घटनास्थल पर आरोपीगण चोरी करते हुए देखे जाने के संबंध में कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं

है। प्रकरण में मेमोरेन्डम एवं जप्ती के दोनों स्वतंत्र साक्षी बैसाखू अ.सा.03 एवं नन्हेसिंह अ.सा.04 पूर्णतः पक्षद्रोही है। उक्त दोनों साक्षियों ने अपने समक्ष आरोपीगण द्वारा पुलिस को मेमोरेन्डम दिये जाने एवं आरोपीगण से चोरीशुदा माल जप्त किये जाने की घटना से इंकार किया है। जप्ती के संबंध में अभियोजन द्वारा दो अन्य साक्षी चैनसिंह अ.सा.05 एवं चंद्रपाल अ.सा.06 का परीक्षण कराया गया है, किन्तु उक्त दोनों साक्षियों ने भी आरोपीगण से इनवर्टर एवं वायरलेस सेट पुलिस द्वारा जप्त किये जाने से इंकार किया है। उक्त दोनों साक्षियों ने पुलिस को प्र.पी.14 एवं 15 का कथन देने से भी इंकार किये हैं एवं जहाँ मेमोरेन्डम एवं जप्ती के स्वतंत्र साक्षी तथा जप्ती के संबंध में बनाये गये अन्य स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है, वहाँ अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है एवं जहाँ अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो, वहाँ संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना चाहिए। इस संबंध में न्यायादृष्टांत स्टेट ऑफ़ एम.पी. बनाम सुनील जैन 2007 (3) म.प्र.लॉ.ज. 372 म.प्र. अवलोकनीय है।

18. उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 17.04.2013 की रात 10 बजे से दिनांक 18.04.2013 की दरमियानी रात्रि में थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम मण्डई वन चौकी में चोरी करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रौ पृच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन कारित किया। अभियोजन यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर अन्य सहआरोपी के साथ चोरी का सामान्य आशय बनाकर फॉरेस्ट वन चौकी मण्डई के अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना उसके आधिपत्य की संपत्ति मोटोरोला कंपनी का वायरलेस, माईक एक नग, सोलर, इनवर्टर, पी.सी.यू. एवं शासकीय दस्तावेज को बेईमानीपूर्वक लेने के आशय से हटाकर चोरी की। फलतः आरोपीगण को धारा-457, 380/34 भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

19. आरोपीगण के बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र भारमुक्त किया जाता है।

20. आरोपीगण जिस कालावधि के लिए जेल में रहे हो उस विषय

में एक विवरण धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपीगण दिनांक 28.10.13 से 02.11.2013 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहे हैं।

21. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति सी.पी.यू. एवं मोटोरोला कंपनी का वायरलेस सेट वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व बैहर एम.एल. वरकड़े की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में सुपुर्दगीदार के पक्ष में उन्मोचित किया जावे। शेष संपत्ति दो सफेद ताले तथा एक टूटी चिटकनी, दो स्टील गिलास अपील अवधि पश्चात अपील न होने पर नष्ट किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित किया”

सही /—
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.

सही /—
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु
कीय / विधिक उपयोग